भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH
Serving the nation since 1911

Indian Council of Medical Research
Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

फ़ा.सं.: 16/19/2026-प्रशा./291222 दिनांक: ..../08/2026

कार्यालय आदेश

विषय: स्टॉफ कार का उपयोग करने के अनुदेश – के संबंध में

केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में स्टॉफ कार के उपयोग से संबंधित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 1 सितम्बर, 2022 के कार्यालय ज्ञापन सं. 18(23)/E-Coord/2021 में निहित अनुदेशों के अनुसार, स्टॉफ कार सुविधा प्राप्त करने की पात्रता निम्नानुसार होगी:

1. भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समकक्ष तथा उससे उच्च स्तर के अधिकारी आईसीएमआर में यथालागू स्टॉफ कार की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।
2. आईसीएमआर के संस्थानों/केन्द्रों/विभागों के प्रमुख, जिनके पद वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी अथवा उससे उच्च स्तर अधिकारी भी स्टॉफ कार सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे।
3. स्टॉफ कार सुविधा इस शर्त के अधीन होगी कि अधिकारी द्वारा जिस अवधि में स्टॉफ कार सुविधा का उपयोग किया जाएगा, उस अवधि के दौरान उस अधिकारी को परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।
4. मुख्यालय से बाहर सरकारी यात्राओं हेतु स्टॉफ कार का उपयोग सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन होगा।
5. पात्र अधिकारी प्रशिक्षण अवधि के दौरान निवास स्थान से प्रशिक्षण संस्थान/स्थान तक की जानेवाली यात्राओं के लिए स्टॉफ कार सुविधा का उपयोग करने की अनुमति भी दी जा सकती है, बशर्ते कि यह सरकार के अनुदेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन हो।
6. स्टॉफ कारों का उपयोग निर्धारित अनुदेशों द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा नियंत्रण अधिकारी लॉग बुक व अन्य निर्धारित रिकॉर्डो का उचित प्रयोग एवं विधिवत रखरखाव सुनिश्चित करेगें।
7. कार्यालय समय के दौरान सरकारी ड्यूटी हेतु स्टॉफ कार के उपयोग के लिए अलग से मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) परिचालित की जा रही है।

यह कार्यालय आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

-हस्त-
(जयबीर सिंह)
सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

सभी संबंधित पदाधिकारी

प्रतिलिपि:

1. परिषद के महानिदेशक/अपर महानिदेशक (दोनों)/वरिष्ठ उप महानिदेशक(प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार के निजी सचिव,नई दिल्ली।
2. परिषद मुख्यालय के सभी प्रभाग-प्रमुख।
3. उप महानिदेशक(प्रशा.)/सहा.महानिदेशक दोनों/प्रशासन अधिकारी(प्रशा.), परिषद मुख्यालय, नई दिल्ली।
4. आहरण एवं संवितरण अधिकारी/बिल अनुभाग।
5. प्रशासन अधिकारी – लॉजिस्टिक्स ।
6. डॉ. एम.एस. चालगा, वैज्ञानिक-ई – परिषद मुख्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।